

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

प्रपत्र-६

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजसमन्द जिला राजसमन्द  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) केम्प मे.ए.डु.सिम

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी मे.ए.डु.सिम  
व भू.अ.नि. मे.ए.डु.सिम की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रेलमगल नायब  
तहसीलदार रेलमगल की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान मू-राजस्व अधिनियम  
1956 की धारा 136 के अनुरारण में ग्राम दूरीका तहसील रेलमगल व  
जिला राजसमन्द की जमावन्दी संवत् 2077 में खाता संख्या 15 में  
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल  
दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	दूरीका	15	गौकल	गौकलराम

रेलमगल  
पीठासीन अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर

क्रमांक:- 175  
प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 3 OCT 2025

1. तहसीलदार रेलमगल को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवावें।
2. प्रार्थी श्री गौकलराम को सूचनाार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

रेलमगल  
उपखण्ड अधिकारी  
लोक अदालत  
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर